न्यायालय विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट, बरेली
परिवाद संख्या–1680/2022
CNRNo.UPBR-01-011329-2022
लालता प्रसाद बनाम ओमकार व 10 अन्य

थाना–बिथरीचैनपुर, जिला–बरेली

23.04.2024

पत्रावली पेश हुई है।

पुकार करायी गयी।

परिवादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित आये। परिवादी के विद्वान अधिवक्ता को विपक्षीगण को तलब किये जाने के बिन्दु पर सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

उपरोक्त परिवाद मूल रूप से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं0प्र0सं0 के रूप में प्रस्तुत किया गया था, जिसे इस न्यायालय के आदेश दिनांकित 02.11.2022 के द्वारा परिवाद के रूप में दर्ज कर अग्रिम कार्यवाही अग्रसारित की गयी।

उपरोक्त प्रार्थना पत्र/परिवाद, परिवादी/आवेदक लालता प्रसाद ने विपक्षीगण ओमकार पुत्र झांझनलाल, रामकली, रहमत, चॉद मोहम्मद, मुंशी, वलियत, शाहदत, अब्दुल समद, इसरार, मंजूर अहमद एवं ओमकार पुत्र पुत्तूलाल के विरूद्ध प्रस्तुत किया, जिसमें कथन किया है कि परिवादी अपने बाप के तीन भाई है तथा ग्राम लश्करीगंज थाना बिथरीचैनपुर जिला बरेली के मूल निवासी है तथा अनुसूचित जाति से धोबी जाति के है और वर्तमान में ग्राम राजूपुर में रह रहे है। परिवादी व उसके भाई सूरजपाल व बाबूराम ने करीब 30 वर्ष पूर्व ग्राम मेहतरपुर करोड़ में सरफुद्दीन के खेत नं0–199 रकवा 0.142 हे0 बैनामा द्वारा खरीदा था। यह खेत गांव के करीब था। यह खेत परिवादी व उसके भाईयों ने अपने रिश्तेदार (मौसेरा विपक्षी सं0–11) ओमकार को खेती करने को दे दिया था। ओमकार, परिवादी को गल्ला व पैसा देता था। ओमकार के कहने र ही खेत खरीदा था। ओमकार खेत के पास ही रहता है, उसका गांव मेहतरपुर करोड़ से लगा हुआ है। इस खेत से परिवादी का गांव लश्करीगंज करीब 10 किमी0 दूर है। परिवादी व उसके दोनों भाई विषम परिस्थितियों में अपना मूल गांव छोड़कर करीब 20 वर्ष पूर्व अपने मौसा–मौसी के यहॉ ग्राम राजूपुर में रहने को चले गये वहॉ से खाने कमाने के लिए कर्नाटक राज्य में चले गये, वहॉ से जब आते थे तो मौसेरा ओमकार ग्राम राजूपुर आ जाता था और खेत के पैसे दे जाता था, लेकिन उसी दौरान मौसेरा ओमकार ने धोखाधडी की और विपक्षीगण संख्या 1 ता 10 ओमकार पुत्र झांझनलाल, रामकली, रहमत, चांद मोहम्मद, मुंशी, वलियत, शाहदत, अब्दुल समद, इसरार, मंजूर अहमद से खेत के ऊपर कुछ पैसा लेता रहा और खेत के कुछ भाग पर उन्हें रहने को जगह दे दी। विपक्षी सं0–3 लगायत 7 ने करीब 5–6 बिसे पर अपना पक्का मकान भी बना लिया जिसका परिवादी व उसके भाईयों को पता नहीं चलने दिया। खेत के कुछ भाग पर मौसेरा ओमकार ने लिप्टिस के पेड भी लगाये जिसका पता चलने पर परिवादी व उसके भाईयों ने पेड़ों के बारे में पूंछा तो मौसेरा ओमकार ने कहा कि पेड़ बडे हो जायेंगे तो मेड बेच देंगे और उसके आधे पैसे तुम्हें दे देंगे, लेकिन पेड काट लिये उसके पैसे नहीं दिये और पेड़ी तिपेड़ी भी तैयार हो गयी जो कटने लायक है। परिवादी व उसके भाई इस साल जनवरी 2022 में जब खेत पर गये तो पता चला कि रहमत अली व उसके भाईयों ने मकान बना लिया, अन्य विपक्षीगण खेत के कुछ भाग में अपना सामान कन्डा, ईधन रखे है तथा कुछ भाग में पशुओं को भी बांधते है। यह देखकर परिवादी व उसके भाईयों, परिवादी की पत्नी ऊषा देवी व परिवादी के भाई बाबूराम की पत्नी मीरा ने विरोध किया और खेत पर मकान बना लेने का कारण पूंछा तो रहमत अली व उसके भाईयों ने कहा कि यह जगह तो हमने तुम्हारे मौसेरा ओमकार से खरीदी है, अन्य विपक्षीगणों ने भी यही कहा कि यह जगह तो हम लोगों ने ओमकार धोबी से खरीदी है। जब परिवादी ने विरोध किया तो रहमत अली व उसके भाईयों, ओमकार कश्यप, उसकी पत्नी रामकली, अब्दुल समद, इसरार व मंजूर अहमद एकराय होकर सबको मारने को हमलावर हो गये और कहा कि सालों नीच जाति के धुबैलो/धुबट्टों यहॉ से भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। परिवादी की पत्नी व परिवादी के भाई की पत्नी को अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए गालियां दी। परिवादी ने अपने मौसेरा ओमकार को बुलाना चाहा पर वह मौके पर नहीं आया। परिवादी ने थाने में रिपोर्ट लिखाना चाही तो थानाध्यक्ष ने फटकार कर भगा दिया, परन्तु रिपोर्ट नहीं लिखी। परिवादी दो

माह तक दौड़ता रहा, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई तो परिवादी व उसके दोनों भाईयों ने मजबूर होकर दिनांक 02.03.2022 को अपने उक्त खेत का बैनामा भी चोखेलाल पुत्र सत्यपाल निवासी ग्राम उदयपुर जसरतपुर थाना बिथरीचैनपुर जिला बरेली के नाम करा दिया। वायदे के अनुसार परिवादी, क्रेता चोखेलाल के साथ खेत पर गया और विपक्षीगणों से कहा कि इस खेत का बैनामा उसने चोखेलाल के नाम करा दिया है और उन लोगों को बैनामा भी दिखाया तो विपक्षीगण कहने लगे कि हमने तेरे मौसेरा ओमकार से पहले ही बैनामा करा लिया है तो परिवादी ने बैनामा दिखाने को कहा तो विपक्षीगणों ने एक 10/–रूपये के स्टाम्प पर कुछ लिखा हुआ दूर से दिखाया और कहा कि इस खेत को हम नहीं छोडेंगे, चाहे जो भी परिणाम हो। विरोध करने पर जातिसूचक गालियां दी और जान से मारने की धमकी दी। परिवादी ने दिनांक 03.07.2022 को एस0एस0पी0 बरेली को डाक से प्रार्थना पत्र भेजा पर कोई कार्यवाही नहीं हुई।

परिवाद के समर्थन में धारा 200 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत परिवादी ने स्वयं को परीक्षित कराया गया है तथा धारा 202 दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत जांच के अधीन पी0डब्लू0–1 चोखेलाल एवं पी0डब्लू0–2 करनलाल को परीक्षित कराया गया है तथा अभिलेखीय साक्ष्य में परिवादी ने जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति, आधार कार्ड की छाया प्रति, थानाध्यक्ष बिथरीचैनपुर बरेली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 02.01.2022 की प्रति, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बरेली को प्रार्थना पत्र दिनांकित 03.07.2022 की प्रति व मूल डाक रसीद व पंजीकृत बैनामा दिनांकित 02.03.2022 की छाया प्रति,व खेत नं0–199 की खसरा–खतैनी प्रस्तुत की है।

पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि परिवादी ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 में कथन किया है कि मेरा मौसेरा भाई ओमकार पुत्र पुत्तूलाल निवासी ग्राम उदयपुर जसरथपुर थाना बिथरीचैनपुर जिला बरेली ने मुझे व मेरे भाईयों को बोला कि ग्राम मेहतरपुर करोड़ के पास आबादी से लगी हुई सरफुद्दीन की सवा दो बीघा जमीन बहुत सस्ते दामों में बिक रही है, उसे खरीद लो तो बहुत बड़ा फायदा होगा, उस खेत की देखभाल मैं ही करता रहूँगा। इस बात पर विश्वास करके मैंने व मेरे भाईयों ने सरफुद्दीन की वह जमीन खरीद ली जिसका खेत नं0–199 है। उस खेत को खरीदकर हमने अपने मौसेरे भाई ओमकार को उस पर खेती व देखरेख करने को दे दिया। इस खेत से मेरा गांव करीब 10 किमी0 दूर है और ग्राम लश्करीगंज को छोड़कर मैं व मेरे दोनों भाई ग्राम राजूपुर जाकर रहने लगे। ग्राम राजूपुर, मेहतरपुर करोड से करीब 40 किमी0 से 50 किमी0 की दूरी पर है, इसलिए मैं व मेरे भाई खेत देखने जल्दी–जल्दी नहीं जा पाते थे और अपने मौसेरे भाई ओमकार से ही उस खेत की देखभाल और खेती कराते रहे। वह हमे राजूपुर आकर ही खेत की बटाई का पैसा आदि दे जाता था, फिर मैं और मेरे दोनों भाई कमाने खाने को कर्नाटक राज्य में चले गये। उसी दौरान मेरे मौसेरे भाई ओमकार ने मेरी उक्त जमीन पर विपक्षीगण ओमकार पुत्र झांझनलाल जाति कश्यप, रामकली पत्नी ओमकार जाति कश्यप, रहमत पुत्र शाहमत, चांद मोहम्मद, मुंशी, वलियत, शाहदत पुत्रगण शाहमत, अब्दुल समद पुत्र अब्दुल करीम, इसरार पुत्र अलाउद्दीन, मंजूर अहमद पुत्र अनीस अहमद को अवैध रूप से कब्जे करवा दिये और बदले में मेरी बिना मर्जी के मेरे मौसेरे भाई ओमकार ने अपनी ओर से छोटी–मोटी धनराशि लेकर फर्जी तरीके से कागज लिखकर दे दिये और इन लोगों से प्राप्त पैसे को ओमकार ने अपने पास रख लिया। मुझे ओमकार ने किसी प्रकार की कोई सूचना नहीं दी। मेहतरपुर करोड़ के कुछ लोगों से मुझे जानकारी हुई तो जनवरी 2022 में मैं व मेरे दोनों भाईयों, मेरी पत्नी ऊषा देवी, भाई बाबूराम की पत्नी मीरा खेत पर पहुँचे तो देखा कि उपरोक्त विपक्षीगण ने मेरे उक्त खेत पर कब्जा अवैध रूप से किए हुए थे। रहमत अली व उसके भाईयों का मकान बना हुआ पाया गया, किसी का सामान रखा था, किसी के पशु बंधे थे। हम लोगों ने विरोध किया तो विपक्षीगण कहने लगे कि यह जगह तो हमने उदयपुर जसरथपुर के ओमकार विपक्षी सं0–11 से खरीदी है। हमने विरोध किया तो विपक्षीगण हम लोगों पर हमलावर हो गये, गंदी–गंदी गालियां दी और कहा कि नीच जाति के सालो धुवैलो–धुबट्टो यहॉ से चुपचाप भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे।, महिलाओं को अश्लील गालियां दी। मैंने अपने मौसेरा ओमकार को बुलाना चाहा, लेकिन वह मौके पर नहीं आया। मैं दो माह तक थाने व पुलिस के चक्कर लगाता रहा, लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी तो परेशान होकर मैंने व मेरे भाईयों ने उक्त जमीन को अनुसूचित जाति के व्यक्ति चोखेलाल पुत्र सत्यपाल निवासी उदयपुर जसरथपुर को दिनांक 02.03.2022 को द्वारा बैनामा बेच दी और वायदे के अनुसार चोखेलाल को कब्जा कराने को जमीन पर अपने उक्त खेत पर पहुँचा तो उपरोक्त विपक्षीगण ने कब्जा नहीं छोडा तथा कहने लगे कि हमने भी बैनामा ओमकार से करा लिया है, कब्जा नहीं छोडेगे और हमें गालियां देते हुए कहा कि

सालो नीच जाति के धुबैलो यहॉ से भाग जाओ नहीं तो जान से मार देंगे। दिनांक 03.07.2022 को एस0एस0पी0 साहब को रिपोर्ट हेतु प्रार्थना पत्र दिया कहीं कोई कार्यवाही न होने पर मजबूरन अदालत आया हूॅ। इस प्रकार परिवादी ने विपक्षीगण सं0–1 ता 10 ओमकार पुत्र झांझनलाल, रामकली, रहमत, चॉद मोहम्मद, मुंशी, वलियत, शाहदत, अब्दुल समद, इसरार, मंजूर अहमद द्वारा घटना वाले दिन परिवादी, उसके भाईयों सूरजपाल व बाबूराम, उसकी पत्नी ऊषा देवी व उसके भाई बाबूराम की पत्नी मीरा पर हमलावर होकर गाली गलौच करने, जान से मारने की धमकी देने तथा जातिसूचक शब्दों से अपमानित करने का कथन किया है। परिवादी के साक्षीगण पी0डब्लू0–1 चोखेलाल एवं पी0डबलू0–2 करनलाल ने अपने बयान अन्तर्गत धारा 202 दं0प्र0सं0 में परिवादी के कथनों का समर्थन किया है। परिवादी व उसके गवाहान ने विपक्षी सं0–11 ओमकार पुत्र पुत्तूलाल की कथित घटना में संलिप्तता के सम्बंध में कोई कथन नहीं किया है। अतएव पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य अन्तर्गत धारा 200 दं0प्र0सं0 व धारा 202 दं0प्र0सं0 व अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर विपक्षीगण ओमकार पुत्र झांझनलाल, रामकली, रहमत, चॉद मोहम्मद, मुंशी, वलियत, शाहदत, अब्दुल समद, इसरार एवं मंजूर अहमद के विरूद्ध प्रथमदृष्टया अपराध धारा 147, 352, 504, 506 भा0दं0सं0 व धारा 3(1) द, ध, 3(2)Va एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत बनता प्रतीत होता है। अतः विपक्षीगण सं0–1 ता 10 ओमकार पुत्र झांझनलाल, रामकली, रहमत, चॉद मोहम्मद, मुंशी, वलियत, शाहदत, अब्दुल समद, इसरार एवं मंजूर अहमद उपरोक्त अपराध में विचारण हेतु तलब किये जाने योग्य है। एवं विपक्षी सं0–11 ओमकार पुत्र पुत्तूलाल को तलब किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्तगण **ओमकार पुत्र झांझनलाल**, **रामकली**, **रहमत**, **चॉद मोहम्मद, मुंशी**, **वलियत, शाहदत**, **अब्दुल समद**, **इसरार** एवं **मंजूर अहमद** को धारा **147, 352, 504, 506** भा0दं0सं0 व धारा **3(1) द, ध, 3(2)Va** एस0सी0/एस0टी0 एक्ट के तहत विचारण हेतु तलब किया जाता है। परिवादी आवश्यक पैरवी अंदर 7 दिन करे तथा सूची गवाहान प्रस्तुत करे। बाद प्रस्तुत होने सूची गवाहान अभियुक्तगण के विरूद्ध सम्मन जारी हो। पत्रावली वास्ते हाजिरी अभियुक्तगण दिनांक **23.05.2024** को पेश हो।

(अंगद प्रसाद II)
विशेष न्यायाधीश एस0सी0/एस0टी0 एक्ट,
बरेली
जे0ओ0कोड यू0पी0–5941

Digitally signed by Angad Prasad II
Date: 2024.04.24 11:03:27 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court